

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(27)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 12-6-25

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेन्ट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत श्री संदीप वाजपेयी, अधिवक्ता (एनरोलमेन्ट नं0 आर/594/1992) को विशिष्ट न्यायालय पोक्सो सं0 2, जयपुर महानगर द्वितीय में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो सं0 2, जयपुर महानगर द्वितीय के पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 24,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है।

श्री अरुण कुमार जाटावत, विशिष्ट लोक अभियोजक, पोक्सो सं0 2, जयपुर महानगर द्वितीय को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है।


आज्ञा से



(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 इनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।


(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक: प.8(27)राज/वाद/24

जयपुर, दिनांक 12-6-25.

:: आदेश ::

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 18) व राजस्थान लॉ एण्ड लीगल अफेयर्स डिपार्टमेंट मैनुअल 1999 के नियम 15(2), 16 एवं 17 के अन्तर्गत कॉलम सं0 2 में वर्णित न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु कॉलम सं0 3 में वर्णित अभियोजकों को कॉलम सं0 4 में वर्णित पद पर मासिक रिटेनरशिप रूपये 21,200/- प्रतिमाह (निश्चित) पर एक वर्ष या अग्रिम आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा नियुक्त किया जाता है:-

क्र. सं0	न्यायालय	नाम अभियोजक	पदनाम
1	2	3	4
1	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (आ.वस्तु.अधिनियम), जयपुर महानगर-द्वितीय	श्री प्रदीप सिंह चौहान (आर/120/1989)	अपर लोक अभियोजक (आ.वस्तु. अधिनियम), जयपुर महानगर-द्वितीय
2	अतिरिक्त सेशन न्यायालय (महिला उत्पीडन), जयपुर महानगर-द्वितीय	श्री मनोज कुमार जांगिड़ (आर/699/1998)	अपर लोक अभियोजक (महिला उत्पीडन), जयपुर महानगर-द्वितीय
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं0 3, जयपुर महानगर-द्वितीय	श्री जुगल किशोर शर्मा (आर/59/1995)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 3, जयपुर महानगर-द्वितीय
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं0 4, जयपुर महानगर-द्वितीय	श्री मुकेश जोशी (आर/989/1995)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 4, जयपुर महानगर-द्वितीय
5	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं0 6, जयपुर महानगर-द्वितीय	श्री कुलदीप गौड़ (आर/184/1997)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 6, जयपुर महानगर-द्वितीय
6	अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, सं0 8, जयपुर महानगर-द्वितीय	श्री रमेश चन्द जाजौरिया (आर/1113/1997)	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक सं0 8, जयपुर महानगर-द्वितीय

निम्नांकित अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषकों को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाता है:-

क्र0सं0	नाम अभिभाषक	पद नाम
1	श्री गिरधारी लाल चतुर्वेदी	अपर लोक अभियोजक (आ0वस्तु अधिनियम) जयपुर महानगर द्वितीय
2	श्री नरेश गजराज	अपर लोक अभियोजक, (महिला उत्पीडन), जयपुर महानगर द्वितीय
3	श्री मोहन लाल गुर्जर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं03 जयपुर महानगर द्वितीय
4	श्री जितेन्द्र शर्मा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं04 जयपुर महानगर द्वितीय

5	श्री सत्येन्द्र सिंह	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं06 जयपुर महानगर द्वितीय
6	श्री जितेन्द्र सिंह	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं08 जयपुर महानगर द्वितीय


आज्ञा से

हो

(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
- 2 संयुक्त सचिव (एसएस), मुख्यमंत्री कार्यालय।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय विधिमंत्री महोदय।
- 4 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, विधि।
- 5 महाधिवक्ता, राजस्थान, जयपुर।
- 6 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
- 7 संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
- 8 संबंधित न्यायालय।
- 9 संबंधित जिला कलक्टर।
- 10 संबंधित कोषाधिकारी।
- 11 संबंधित अभियोजक।
- 12 सहायक लेखाधिकारी, प्रथम, विधि(वादकरण) विभाग।
- 13 एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, विधि विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने एवं राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर से राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
- 14 रक्षित पत्रावली।


(सुरेश चन्द बंसल)
शासन सचिव, विधि